



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. डी. के. गोठवाल

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: एफ.()/सीएस/श्रीकनकृमवि/2026/3908

दिनांक: 25.03.2026

M/s Ragini Computers

3348, Shri Shanti Veer Jain Gurukul School

Jobner-303328

raginicomputers2019@gmail.com

कार्य आदेश

विषय: Supply of Laptop

संदर्भ: सीमित निविदा क्रमांक एफ./सीएस/श्रीकनकृमवि/2026/3268 दिनांक 22.03.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की Laptop की आपूर्ति की दरें कम पाई जाने एवं सीमित निविदा हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत आपको निम्नानुसार दरों पर सीमित निविदा की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति का कार्य आदेश दिया जाता है।

S. No.	Name of item	Specifications	Make/ Model	Qty	Approved rate per unit (Rs.) with GST	Total Amount with GST
1.	Laptop	Intel® Core™ 150U, 15.6-inch, FHD, 16GB DDR4/512GB SSD, Dual Speakers, Window 11 with MSO, Natural Silver with bag	HP 1100 TV	01	79200	79200.00
2.	Laptop	Intel 13th Gen i5-1334 U, Intel iris Xe graphics, 15.6-inch, FHD Camera + TNR Backlit keyboard, 8GB RAM/512GB SSD, Dual Speakers, Window 11home, MS Office home 2024, 1 Year M 365 basic, Natural Silver with bag	HP 466 TV	01	55900	55900.00
Grand Total						135100.00

नोट:- सीमित निविदा की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर सीमित निविदा के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29 (ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

1.	माल की आपूर्ति का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 03 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से

शास्ति: विलंब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:


Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:

अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5%
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribe Delivery Period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three-fourth of the prescribe Delivery Period	7.5%
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, लेखा शाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. रक्षित पत्रावली



अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष